संस्थान में "राजभाषा नीति और उसका कार्यान्वयन" विषय पर कार्यशाला– एक संक्षिप्त रिपोर्ट





भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में गृह मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय–समय पर राजभाषा हिन्दी के संबंध में कार्यशाला एवं विचार–विमर्श संगोष्ठी इत्यादि आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं, इसी का अनुपालन करते हुए संस्थान में 22 अगस्त, 2024 को संस्थान के सीनेट कक्ष में **"राजभाषा नीति और उसका कार्यान्वयन"** विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 60 अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित नोडल अधिकारियों ने भागीदारी की। कार्यशाला के सत्र की अध्यक्षता प्रो. अंबुज सागर, उप निदेशक (नीति एवं योजना) द्वारा की गई। अतिथि वक्ता के रूप में श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को आमंत्रित किया गया था।

कार्यशाला की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए डॉ. नीरज चौरसिया (अध्यक्ष, हिन्दी कक्ष) ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित करना तथा मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस कार्यशाला का एक उद्देश्य नव नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस धारा में जोड़ना है क्योंकि सरकारी सेवा में नीतियों का अनुपालन करना अनिवार्य है। इस कार्यशाला का एक उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में संस्थान द्वारा नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी राजभाषा नीति संबंधी प्रावधानों व संघ की राजभाषा नीति से अवगत कराना है। हिन्दी में कार्य करना हमारा प्रशासनिक दायित्व है। आज की इस कार्यशाला में हम तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा संविधान में राजभाषा की स्थिति पर चर्चा करेंगे, उन्होंने प्रो. अंबुज सागर को कार्यशाला में अपना बहुमूल्य समय एवं हिन्दी कक्ष को लगातार सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित दिया।